न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील सख्याः—78/18

1. झाबर सिंह पुत्र प्रभूसिंह जाति राजपूत निवासी चीपलाटा थाना थाई जिला सीकर

——अपीलान्ट

बनाम

1 सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक, सीकर

—— रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांकः 08.08.2018

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर के आदेश दिनांक 06.02.2018 से असंतुष्ट होकर राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 6 नियम 14 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि अपीलार्थी के विरूद्ध सरकार ने जरिये पुलिस अधीक्षक के मार्फत उपरोक्त अधिनियम के तहत कार्यवाही करने हेतु एक इस्तगासा प्रस्तुत किया जिसमें पीठासीन अधिकारी के द्वारा अपीलान्ट को चार माह के लिये जिला झुन्झुनू में निष्काषित किया गया एवं अपीलार्थी को निर्देश दिये कि वह अविलम्ब अपनी उपस्थिति पुलिस अधीक्षक झुन्झुनू को प्रस्तुत करें।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलौच्य आदेश दिनांक 06.02.2018 विधि विधान, न्याय एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरित होने की वजह से अपास्त किये जाने योग्य है। उन्होने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय को निर्णत पारित करते समय अधिनियम की धारा 2 व 3 की पालना करना अति आवश्यक था लेकिन पीठासीन अधिकारी के द्वारा अधिनियम की धारा 2 व 3 की पालना किये बगैर आलौच्य आदेश पारित किया है, जो विधि विरूद्ध होने से कानून की दृष्टि से चलने योग्य नही होने से अपास्त व निरस्त किये जाने योग्य है। उन्होने कथन किया है कि कानूनन किसी भी व्यक्ति के खिलाफ अगर कानूनी कार्यवाही शुरू की जाती है तब धारा 2 ख के अन्तर्गत उस व्यक्ति के सम्बन्ध मे अभयस्त या आदतन अपराधी होना जरूरी है क्योंकि धारा 2 ख में अभयस्त एवं अभयासी शब्द प्रयुक्त हुआ है, इसका तात्पर्य यह है कि किसी व्यक्ति के खिलाफ गुण्डा एक्ट की कार्यवाही धारा 3 के अन्तर्गत कार्यवाही के आरम्भ करने से पूर्व सक्षम अधिकारी को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि उस व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही प्रारम्भ करने से तुरन्त पूर्व 6 माह की अवधि में कम से कम 3 अवसरों पर अपराध कारित किया गया हो, हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी की खिलाफ इस प्रकार के कोई भी 3 प्रकरण कार्यवाही प्रारम्भ करने से 6 माह पूर्व के नही होने से आलौच्य आदेश विधि विरूद्ध होने से निरस्त, अपास्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि राजस्थान गुण्डा कानूनी अधिनियम के तहत कार्यवाही करने की पूर्व यह भी सुनिश्चित होना चाहिये

P.T.O.

संभागीय आयुक्त
जयपुर

कि जिस व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही प्रारम्भ की जा रही है वह व्यक्ति या उसकी गतिविधियॉ या कार्य व्यक्तियो या सम्पत्ति का सत्रांस खतरा या हानि पहूॅचाने वाले हो तथा उस व्यक्ति के खिलाफ कोई भी व्यक्ति भय के कारण उसके खिलाफ गवाही देने से डरता हो जो समाज में वह व्यक्ति एक समाजिक कन्टक के रूप में प्रतिस्थापित हो गया हो तभी उस व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही प्रारम्भ की जा सकती है लेकिन हस्तगत प्रकरण में अपीलार्थी के विरूद्ध ऐसी कोई साक्ष्य, तथ्य एवं विवेचन आलौच्य आदेश में वर्णित नही है इसलिये आलौच्य आदेश विधि द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरित पारित होने से अपास्त एवं निरस्त किये जाने योग्य है। उन्होने कथन किया है कि कार्यवाही प्रारम्भ करने के बाद पीठासीन अधिकारी के द्वारा अपीलार्थी को डिटेल नोटिस जिसमें कि सम्पूर्ण विवरण का अंकन होना नियम राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के नियम 4 के अनुसार नोटिस दिया जाना चाहिये लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त नियम की अवहेलना कर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिससे अपीलार्थी को उचित सुनवाई का अवसर नही मिल पाने की वजह से अपीलार्थी स्वयं की विधि संगत पैरवी नही कर पाया है, अपीलार्थी एक कानून में विश्वास रखने वाला एवं कानून की पालना करने वाला व्यक्ति है जिसके पक्ष में एक सक्षम ऑथोरिटी ने उसके चरित्र से सम्बन्धित प्रमाण पत्र जारी किया जिससे साबित होता है कि अपीलार्थी समाज में गरिमा मय व्यक्ति एवं उसके विरूद्ध समाज में किसी को भी सत्रास भय या क्षति कारित होने की संभवाना नही है।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अपीलार्थी के विरूद्ध आबकारी अधिनियम के तहत 2 मुकदमों में जुर्म स्वीकारोक्ति के बाद आर्थिक दण्ड से दण्डित किया गया है तथा प्रार्थी के चरित्र आदि को देखते हुये अपीलार्थी को प्रोबेशन का लाभ देते हुये सक्षम न्यायालय द्वारा उनमोचित किया गया है, इस दण्ड को दोष सिद्धि नही माना जा सकता क्योंकि प्रकरण गुणावगुण पर टिप्पणी किये बगैर पारित किया गया है इससे प्रकरण दोषसिद्ध की परिभाषा में नही आता है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन तथ्यों की अनदेखी करते हुये आलौच्य आदेश पारित किया है, जो निरस्त होने योग्य है। अधिवक्ता अपीलान्ट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश के अवलोकन करने मात्र से प्रथम दृष्टया ही साबित है कि अपीलाधीन आदेश किसी भी सूरत में स्पीकिन्ग आर्डर की तारीफ में ही नही आता है बल्कि कयासी फाईन्डिग पर आधारित है, जो खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.02.2018 को निरस्त फरमाया जावें।

रेस्पोडेन्ट की ओर से पुलिस उप अधीक्षक नीमकाथाना ने प्रकरण में अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित कर उसमें अंकित किया है कि अपीलान्ट के विरूद्ध दिनांक 26.08.2017 को पुलिस अधीक्षक सीकर को इस आशय का इस्तगासा पेश किया कि झाबर सिंह निवासी चीपलाटा थाना थोई का मूल निवासी है, शख्स मजकूर थाना हाजा ईलाका में अवैध शराब का धन्धा करने का आदि है जिसके विरूद्ध थाना हाजा पर अभियोग संख्या 235/11 दिनांक 16.10.11, 325/12 दिनांक 18.12.12, 152/15 दिनांक 05.07.15, 212/16

संभागीय आयुक्त
जयपुर

दिनांक 22.08.16 अन्तर्गत धारा 19/54 आबकारी अधिनियम दर्ज है, शक्स श्री झाबर सिंह पुत्र श्री प्रभूसिंह अवैध शराब का धंधा करने का आदि है जो स्वयं आबकारी अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराधों को आदतन कर रहा है जिसका ईलाका थाना हाजा मे स्वछन्द रूप से घुमना समाज व राज्य के हित में नही है जिसका उपरोक्त कृत्य राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 3/10 की नोईयत को पहुँचाता है। अतः इस्तगासा हाजा बखिलाफ गैर सायल झाबर सिंह पुत्र श्री प्रभू सिंह निवासी चीपलाटा थाना थोई पेश कर निवेदन है कि गैर सायल को ईलाका थाना से निष्कासित करने की कृपा करे ताकि ईलाका हाजा में शांति व्यवस्था बनी रह सके, इत्यादि इस्तगासा पुलिस अधीक्षक सीकर को पेश करने पर पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा दिनांक 01.09.2017 को इस्तगास मय अपनी रिपोर्ट के न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट सीकर को पेश करने पर जिला मजिस्ट्रेट सीकर के निर्णय दिनांक 06.02.2018 द्वारा गैर सायल झाबर सिंह पुत्र श्री प्रभूसिंह को धारा 3/10 राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 के तहत 4 माह के लिये जिला झुन्झुनू में निष्कासित किये जाने के निर्देश का निष्कासित नोटिस थाना हाजा पर प्राप्त होने पर नोटिस की एक प्रति स्वयं गैर सायल झाबर सिंह को सुपुर्द कर तिथियुक्त प्राप्ति हस्ताक्षर करवाये जाकर नोटिस बाद तामिल पुलिस अधीक्षक जिला सीकर के कार्यालय में भिजवाये गये।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलान्ट के विरूद्ध आबकारी अधिनियम के तहत कुल 4 अभियोग पंजीबद्ध होकर 4 अभियोगों में चालान न्यायालय में पेश किये गये है जिससे अपीलान्ट को सजा हुई है तथा पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से अपीलान्ट राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 02(आ) में वर्णित दण्डनीय अपराध करने का अभयस्त (प्रयास करता है करने के लिऐ प्रेरित भी करता है) होना मानते हुए अधिनियम की धारा 3/10 के अपीलान्ट के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना उचित मानते हुए ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.02.2018 पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कानूनी त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.02.2018 को यथावत रखा जाता है।

(टी0रविकान्त)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर।

निर्णय आज दिनांक 08.08.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।